

न्यायालय अनुमण्डल दफ्तराधिकारी श्वरी महुआ (गिरिडीह)

वाद सं० 60/2017

प्रदीप प्रसाद यादव - बनाम - अशोक प्रसाद यादव वगैरह  
द्वारा 144 के प्र० सं०

आदेश फलक

16.9.17

अभिलेख उपस्थापित। बाना प्रभारी जाके बाना से प्राप्त प्रतिवेदन पर सुनवाई करते हुए शांति-व्यवस्था भंग होने की संभावना को देखते हुए प्रश्नगत अधि पर दं० प्र० सं० की धारा 144 के तहत उभय पक्षों के लिए निषेधाज्ञा लगायी गयी तथा कारण-पृच्छा की मांग की गयी।

विवक्षित अधि निम्न है :-

मीजा	-	श्वाना नं०	-	फॉट नं०	-	रकवा
सीरी	-	42	-	44	-	63 डी०
"	"		-	830, 831	-	रु० 609 - 17 डी०

कुल रकवा - 80 डी० के मध्ये 11.37 डी०  
45

- चौहदी :- (उ० - जगदीश महतो पै० स्व० राम सहाय महतो ।  
दं० - परमेश्वर महतो पै० स्व० विशुन महतो की नीज जमीन  
पु० - आशीष सास्ता ।  
प० - जगदीश महतो पै० स्व० राम सहाय महतो की नीज जमीन ।

अभिलेख का अवलोकन किया। प्रथम पक्ष लगाएर अनुपस्थित है।

द्वितीय पक्ष के ओर से कारण-पृच्छा दारिजल किया गया जिसमें उनका कथन लिखित बहस में अंकित है। यह वाद कालबाधित हो चुकी है। इसलिए वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।  
लेखापित

अनु० दफ्तराः

अनुमण्डल दफ्तराधिकारी  
श्वरी महुआ